"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 जुलाई 2010— श्रावण 1, शक 1932

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रचना नलोडे धर्मपत्नी श्री राकेश नलोडे, उम्र-42 वर्ष, निवासी-शिक्षक नगर, गली नं.-1 गोपाल मंदिर रोड, दुर्ग तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मेरा नाम कु. किरण इंगोले आत्मजा-श्री जी. एन. इंगोले निवासी बूढ़ापारा-रायपुर था. विवाहोपरान्त मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना नया नाम रचना नलोडे ध. प. श्री राकेश नलोडे रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे श्रीमती रचना नलोडे धर्मपत्नी श्री राकेश नलोडे के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम
कु. किरण इंगोले
आत्मजा-श्री जी. एन. इंगोले
निवासी-बूढ़ापारा, रायपुर
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नया नाम
श्रीमती रचना नलोडे
ध. प.-श्री राकेश नलोडे
निवासी-शिक्षक नगर, गली नं.-1
गोपाल मंदिर रोड-दुर्ग
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जगदीश कुमार यादव पिता श्री साधराम यादव, उम्र-39 वर्ष, स्थायी निवासी ग्राम-मसनिया खुर्द, पो.-मसनिया कला थाना एवं तहसील-सक्ती जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.) का हूं. यह कि भूलवश मेरे कुछ-कुछ प्रमाण पत्रों, दस्तावेजों एवं रिकार्डों में मेरा नाम जगदीश प्रसाद, जगदीश प्रसाद यादव, यादव जगदीश एवं जगदीश यादव वगैरह लिखा हुआ है, जो कि भ्रामक और त्रुटिपूर्ण है. जिसे सुधार कर मैं अपना नाम जगदीश कुमार यादव दर्ज एवं अंकित कराना चाहता हूं तथा इसके संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे जगदीश कुमार यादव पिता श्री साधराम यादव के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
जगदीश प्रसाद, जगदीश प्रसाद यादव, यादव जगदीश और जगदीश यादव पिता-श्री साधराम यादव स्थायी निवासी-ग्राम-मसनिया खुर्द पो.-मसनिया कला, थाना एवं तह.-सक्ती जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)	जगदीश कुमार यादव पिता-श्री साधराम यादव स्थायी निवासी-ग्राम-मसनिया खुर्द पो.-मसनिया कला, थाना एवं तह.-सक्ती जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 9 जून 2010

प्रारूप-4

[देखे नियम 5(1)]

[छ. ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और छ. ग. लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

लोक न्यास के पंजीयक दुर्ग के समक्ष

क्रमांक 1253/प्र- 3/लो. न्या/अविअ/2009.— यत: कि श्री गुलाबचंद जैन आ. स्व. बटटीलाल जैन निवासी दुर्ग तहसील दुर्ग जिला दुर्ग ने श्री महावीर दिगम्बर जैन मंदिर पता जैन कालोनी विद्युतनगर पदनाभपुर दुर्ग को छ. ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 14-07-2010 के दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्त्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों का विचार नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम और पता : श्री महावीर दिगम्बर जैन मंदिर, जैन कालोनी, विद्युतनगर, पदनाभपुर, दुर्ग

2.	चल संपत्ति	:	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक दुर्ग से जमा बचत राशि 3,41,586 रुपये एवं स्थायी जमा राशि 5,90,067 (मैच्युरिटी वैल्यू) नगद राशि 52,000 रुपये एवं बर्तन, अलमारियां, टेबल, कुर्सियां एवं दरियां आदि.
3.	अचल संपत्ति	:	ग्राम पोटियाकला में 10500 वर्गफीट भूमि (खसरा नंबर 141/1, 141/8, 141/17, 18 का टुकड़ा).

क्यू. ए. खान
पंजीयक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2010

प्रकरण क्र. .... ब/113 (1) वर्ष 2009-10

क्रमांक /433/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2010.— आवेदक रतन लाल अग्रवाल, श्याम सुन्दर प्रधान एवं मनीष अग्रवाल फाफाडीह स्टेट बैंक कालोनी रायपुर ने उत्कर्ष, पुष्परत्न, फाफाडीह स्टेट बैंक कालोनी रायपुर के नाम से छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 27-08-2010 को होगी.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम और पता	:	उत्कर्ष, पुष्परत्न, फाफाडीह स्टेट बैंक कालोनी, रायपुर
2.	चल संपत्ति	:	5,100 रु. नगद
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

तारन प्रकाश सिन्हा
पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2010.